न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 45/23 निर्णय दिनांकः– 22.1.25
(जीसीएमएस संख्या 2023/288)

1. मदनसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी गांव रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. मु. जड़ाव कंवर पत्नी कानसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. तेजुसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. भीखसिंह उर्फ भीवसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. श्रवणसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुत निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. हरिसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुत निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. दौलतसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. नैनकंवर पुत्री कानसिंह जाति राजपुत निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज।

रेस्पोडेन्ट्स

9. हडमानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपुत निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10. हेमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपुत निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2023
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 3
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2023 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि गांव रोड़ा के गत् खसरा नम्बर 936 तादादी 10.08 हेक्टर भूमि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों की शामलाती खाते की भूमि थी। जिसका विभाजन आपसी सहमति से तहसीलदार द्वारा किये जाने के उपरान्त अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट् अपने–अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। जिसमें किसी अन्य खातेदार की दखलंदाजी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के वर्तमान में कीमत बढ़ जाने के आधार पर व आराजी जैर नेशनल हाईवे से अपीलांट् की भूमि में से निकलने के कारण रेस्पोडेन्ट के मन में लालच आ जाने से रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश करते हुए अपीलांट् के हक व हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त की भूमि की धोषणा का वाद प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादप्रकिया को अपनाये बिना ही मात्र काल्पनिक आधारों पर व नजरी नक्शें के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स के वादपत्र को स्वीकार करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों की उपस्थिति में तहसीलदार से मौके की वास्तवकि स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही व पूर्व में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पक्षकारों की सहमति से हुए पूर्ववर्ती बंटवारें को ध्यान में रखे बिना ही आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 92ए के तहत पेश करते हुए आराजी जैर के बाबत् घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती की मांग की गई थी। उक्त धाराओं के तहत वादपत्र के निर्धारण से पूर्व नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए, साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही आराजी जैर की घोषणा के बाबत् कोई निर्णय पारित किया जाने के प्रावधान विधि में निहित है। परन्तु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार वादपत्र में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना पत्रावली के अवलोकन से जाहिर नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादप्रकिया को अपनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तमाम कार्यवाही मात्र नेशनल हाईवे में अपीलांट् की आई भूमि का मुआवजा उठाने की नियत मात्र से ही कार्यवाही की गई है तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मुआवजा भी उठा लिया गया है। जिस पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है तथा आराजी जैर की रजिस्ट्री करवाते हुए उक्त आशय का हवाला भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तमाम कार्यवाही तथ्यों को छिपाते हुए करवाई गई है। प्रकरण में अन्य तथ्य यह भीउ उल्लेखनीय है कि यदि रेस्पोडेन्ट्स आराजी जैर के पूर्ववर्ती विभाजन से सहमत नहीं भी थे तब उन्हें उक्त आदेश के विरूद्व अपील के माध्यम से कार्यवाही करनी चाहिए थी। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विभाजन के आदेश की अपील नहीं करते हुए आराजी जैर की घोषणा का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम पेश करते हुए चाराजोई की गई है। अपीलांट्स द्वारा उपरोक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम वादप्रकिया की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट्स के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्टठ्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 92ए व भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर की घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार आराजी जैर के पूर्ववर्ती राजस्व नक्शें एवं विभाजन के समय कब्जे काश्त के अनुसार की स्थिति के अनुरूप संबंधित तहसीलदार से वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त यह पाये जाने की पर रेस्पोडेन्ट्स का वादपत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। आक्षेपित आदेश से अपीलांट् के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से आराजी जैर के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स का वादपत्र स्वीकार किया गया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 92 ए व भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर की घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती की मांग की गई थी। इस संबंध में हमने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तहसीलदार, नोखा का जवाब व मौके पर पक्षकारों के कब्जे काश्त की स्थिति के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार जोकि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भू–धारक होता है के जवाब के मद संख्या 3 में मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अभिलिखित किया गया है कि:– यह है कि मौका पर निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि वादीगण संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का कब्जा काश्त खेत खसरा नम्बर 936 रकबा 5.04 हेक्टर (पश्चिम की तरफ) पर चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का कब्जा काश्त खेत खसरा नम्बर 936/1 तादादी 5.04 हेक्टर (पूर्वी पासा) पर निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। जबकि राजस्व रिकार्ड में वादीगण संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम खसरा नम्बर 936/1 रकबा 5.04 हेक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम खसरा नम्बर 936 रकबा 5.04 हेक्टर भूमि अंकित है। इस प्रकार तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जे काश्त के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अंकन पक्षकारों का नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा इसी आशय के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत करते हुए रिकार्ड दुरूस्ती की मांग की गई थी। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबाली जवाबदावा एवं आराजी जैर की पूर्व की स्थिति, वर्तमान में भू–नक्शें के वादीगण एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रिकार्ड की स्थिति एवं वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभाजन के समय एवं उनके वारिसान का कब्जे काश्त की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है।

प्रकरण में अन्य तथ्य यह भी विचारणीय है कि वादग्रस्त भूमि पर जडावकंवर पत्नि कानसिंह व अन्य सह खातेदारों के कब्जे काश्त की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के लिये अवाप्त किये जाने पर नियमानुसार मुआवजें का भुगतान भी रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा प्राप्त किया गया है। जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण का कब्जा काश्त खेत खसरा नम्बर 936/1 रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, सह खातेदारों के कब्जे काश्त की रिपोर्ट/पूर्ववर्ती राजस्व नक्शें एवं वर्तमान कब्जे काश्त के अनुसार प्रस्तुत राजस्व नक्शें के अनुसरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपीलांट् की अपील को तकनीकी बिन्दु पर पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का कोई औचित्य नहीं होने से अपीलांट् की अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खरिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22-1-25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर